अध्याय-1

संसदीय राजभाषा समिति का गठन, पृष्ठभूमि, सदस्यता तथा कार्यकलाप

भूमिका

1.1 मात्र भाषा ही व्यक्ति की वह अभिन्न संगिनी या साथी है, जो जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत उसका साथ निभाती है। व्यक्ति की भाषा उसकी अस्मिता का एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति भी मात्र उसकी अपनी भाषा से ही होती है। इसीलिए भाषा को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा भी दी जाती है। किसी राष्ट्र की पहचान भी उसके राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्र-गान एवं राष्ट्र-भाषा से ही होती है। भारत में हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और जन-भाषा के रूप में सबसे अधिक स्वीकार की गई है। भारत के स्वाधीनता-संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा प्रेम को राष्ट्र प्रेम की संज्ञा दी जाने लगी थी। भारत की विविध प्रांतीय भाषाओं का अपना प्राचीन इतिहास और साहित्य है। प्रजातंत्रीय राष्ट्र में इन भाषाओं की स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही एक ऐसी साझी भाषा का होना भी नितांत आवश्यक है जो अंतर-प्रांतीय संपर्क के लिए प्रयोग की जा सके। संस्कृत, जो कि हमारे राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति की धरोहर है, सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और हिंदी इसके निकटतम है। हिंदी देश के अधिकांश भागों में भारतीयों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाने वाली भाषा है। अतएव अधिसंख्य लोगों की भाषा होने के नाते हिंदी राष्ट्रभाषा के उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबन्ध

1.2 संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 के दिन मुंशी-आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और उससे संबंधित अन्य धाराएँ भी स्वीकार कीं। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को अंकों के रूप में मान्यता दी गई।

1.3 संविधान के अनुच्छेद 120 (भाग-5), अनुच्छेद 210 (भाग-6), अनुच्छेद 343, 344, और 348 से 351 के अंतर्गत संघ की राजभाषा नीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351) में संघ तथा राज्यों की राजभाषाओं का निर्धारण किया गया है।

1.4 संविधान लागू होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया था। परिवर्तन के लिए 15 वर्ष की कालावधि पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् निर्धारित की गई थी, ताकि उक्त अंतराल के बाद निर्बाध भाषाई परिवर्तन हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा तैयारी की जा सके। साथ ही साथ संविधान निर्माता इस बात के प्रति जागरूक थे कि हो सकता है सभी क्षेत्रों में 1965 तक भाषाई परिवर्तन करना संभव न हो, इसी दृष्टि से संविधान सभा को यह भी अहसास था कि सुचारू परिवर्तन के लिए 15 वर्ष की कालावधि के दौरान भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के क्रमिक प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। कदाचित इसीलिए इस विषय पर अपेक्षित कार्रवाई तथा निर्णय सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया।

इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 343 के उप खंड (2) के उपबंध राष्ट्रपति को उक्त अवधि के दौरान संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करते हैं और खंड(3), संसद को इस अंतिम तिथि या 1965 के पश्चात विधि में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की अवधि बढाने की शक्ति प्रदान करता है।

1.5 यद्यपि सरकार को अंग्रेजी से हिंदी की ओर परिवर्तन को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक उपाय करने की छूट थी, तथापि संविधान सभा ने विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद-344 में दो राजभाषा आयोगों तथा एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया।

1.6 अनुच्छेद-351, संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करने, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ तक उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, उसकी समृध्दि सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। संविधान के निर्माताओं ने भाषा के एक ऐसे अखिल भारतीय रूप की कल्पना की है जो अन्य भारतीय भाषाओं की सहायता लेकर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जा सके।

1.7 संसद में कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद-120 यह निर्धारित करता है कि संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होगी। तथापि, कोई सदस्य, सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक, अंग्रेजी के प्रयोग का विकल्प भारत के संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अर्थात 26 जनवरी,1965 को समाप्त माना जाएगा किंतु इस संबंध में संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3 के अनुसार, 1965 के पश्चात् भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई।

संवैधानिक आदेश (राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में) 1952 तथा 1955

1.8 संविधान के आरंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि के दौरान अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के क्रमिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता के प्रति संघ सरकार सजग रही और उसने इस संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मई, 1952 को विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के रूप में राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया था और पुन: 3 दिसंबर, 1955 को गृह मंत्रालय द्वारा एक न्नसंविधान आदेश 1955 न्न जारी किया गया। इनमें राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र और जनता के साथ पत्र-व्यवहार आदि प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग विनिर्दिष्ट किया गया।

राजभाषा आयोग,1955

1.9 राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून, 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हिन्दी के विकास एवं प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया।

खेर आयोग

1.10 खेर आयोग के नाम से ज्ञात इस आयोग ने 31 जुलाई, 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं: -

(1) भारत की जनतांत्रिक पध्दति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। प्रशासन को सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।

(2) बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है।

(3) 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए।

(4) सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक दूसरी दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जाना आयोग को मान्य नहीं है।

(5) सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिंदी माध्यम से जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठना चाहें उनके लिए वे उचित प्रबंध करें।

(6) वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में यदि सब विद्यार्थी एक भाषायी वर्ग के हों तो उनकी भाषा के माध्यम से ही उन्हें शिक्षा दी जाए और यदि विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के हों तो हिंदी भाषा को ही सामान्य माध्यम के रूप में अपनाया जाए।

(7) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का निश्चित अवधि में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किए जाएँ और ऐसा न करने वालों को दंडित किया जाए।

(8) जनता से सीधा संबंध रखने वाले विभागों और संगठनों में आंतरिक कार्यो में हिंदी और जनता से व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा व्यवहार में लाई जाए।

(9) राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाए और इसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए।

(10) स्वीकृत सरकारी कानून हिंदी में ही होने चाहिए, परंतु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(11) देश में न्याय, देश की भाषा में किया जाए, जिसके लिए यह जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्रवाई तथा विलेखों, निर्णयों और आदेशों के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी संलग्न किए जाएं।

(12) अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं हेतु कर्मचारियों के लिए हिंदी की योग्यता रखना आवश्यक किया जाए। इन परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा जाए, परंतु अहिंदीभाषी विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से उसका स्तर अति साधारण रहे।

संसदीय राजभाषा समिति, 1957

1.11 तत्पश्चात्, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करके उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के अनुसार सितंबर,1957 में 30 सदस्यों की (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई जिसकी पहली बैठक 16 नवंबर,1957 को हुई। तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति ने 26 बैठकों में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् 8 फरवरी,1959 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग और समिति का विचार था कि 26 जनवरी, 1965 के पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग सह-राजभाषा के रूप में जारी रहना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए और हिंदी को कुछ समय बाद वैकल्पिक माध्यम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन पर 2 सितंबर से 4 सितंबर,1959 तक लोकसभा में और 8 और 9 सितंबर, 1959 को राज्यसभा में बहस हुई। प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर,1959 को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार के रवैये को मोटे तौर पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह बात फिर से दोहराई कि अंग्रेजी को एक सहयोगी अथवा अतिरिक्त भाषा बनाया जाना चाहिए और किसी भी राज्य द्वारा भारत सरकार के साथ अथवा अन्य राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए उसे प्रयुक्त किया जा सकेगा। उन्होंने आगे यह बात भी स्पष्ट की कि जब तक अहिंदी भाषी क्षेत्र, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को बंद करने पर राजी न हो जाएँ, इस संबंध में समय-सीमा की कोई बंदिश नहीं होगी।

राष्ट्रपति का आदेश, 1960

1.12 पंत समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज में हिंदी को प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रारंभिक उपायों के संबंध में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में शब्दावली निर्माण, केंद्रीय अधिनियमों, नियमों आदि के हिंदी अनुवाद तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई थी।

राजभाषा अधिनियम, 1963

1.13 जैसे ही भारतीय संविधान में भाषाई परिवर्तन के लिए नियत 26 जनवरी, 1965 का दिन समीप आने लगा, कुछ अहिंदी भाषी लोगों के मस्तिष्क में अशांति और आशंकाएँ पैदा हुईं, हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पहले ही 7 अगस्त, 1963 को लोकसभा में घोषणा कर चुके थे कि अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। तथापि, प्रधानमंत्री का यह दृढ मत था कि अंग्रेजी को धीरे-धीरे ही सही, परंतु निश्चित रूप से हटा दिया जाना है। राजभाषा के भविष्य और अहिंदी भाषी जनता की आकांक्षाओं के बीच समन्वित सोच अपनाने की दृष्टि से उक्त कठिनाइयों का निराकरण करते हुए 10 मई, 1963 को राजभाषा अधिनियम, 1963 लाया गया। इस अधिनियम ने इस विषय पर सरकार की भावी नीति को कानूनी स्वरूप प्रदान किया। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के समाप्त हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिन के लिए वह, उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। इसमें संघ और राज्यों के बीच, एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच तथा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों अथवा कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा के बारे में भी प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि कतिपय दस्तावेजों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि अधिनियम की धारा 3 के उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे, जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक उपर्युक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा भी ऐसा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

1.14 अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी 1965 से 10 वर्ष के समय के पश्चात, संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है, जैसा कि इस अध्याय के पैरा 1.20 में उल्लेख है ।

राजभाषा संकल्प

1.15 वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम को संशोधित करने के एक वर्ष बाद संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जो राजभाषा संकल्प के नाम से जाना जाता है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी के प्रचार एवं विकास की गति बढाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे। इस संबंध में किए जाने वाले उपायों एवं होने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्याकंन रिपोर्ट भी सरकार द्वारा दोनों सदनों के पटल पर रखी जाए और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

1.16 इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में वर्णित अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, एक कार्यक्रम तैयार करे और इसे कार्यान्वित किया जाए, ताकि वे भाषाएँ शीघ्र समृध्द हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें। संकल्प में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा-सूत्र को राज्यों को पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने पर बल देते हुए यह कहा गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा को (दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को) तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए इस सूत्र के अनुसार प्रबंध किए जाएं। अन्तत: इस संकल्प के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए और उन विशेष सेवाओं और पदों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों को संतोषजनक निष्पादन के लिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी, व दोंनो, जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अपेक्षित हो। इसके अतिरिक्त, परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति हो।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

1.17 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों में यथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 के पश्चात् राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजभाषा नियम, 1976, बनाए गए थे जो भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में दिनांक 28 जून, 1976 को प्रकाशित किए गए।

1.18 जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) के उपबंधों से केंद्र सरकार के कामकाज में दीर्घकालीन द्विभाषिक स्थिति की शुरूआत हुई। सरकारी कामकाज के कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा के तहत हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

1.19 जैसाकि राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है कि सरकार की नीति के अनुसार, हिंदी के प्रयोग को समझा-बुझाकर, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से बढाया जाना है। संविधान द्वारा संघ की राजभाषा का प्रसार तथा वृध्दि करने के लिए संघ सरकार को निदेश दिए गए हैं।

संसदीय राजभाषा समिति का गठन

1.20 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिस तारीख (26 जनवरी,1965) को अधिनियम की धारा 3 प्रवृत्त होती है, उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, राजभाषा के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। इसी धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति के गठन के लिए सांविधिक संकल्प की सूचना गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में 24 जुलाई, 1975 तथा लोकसभा में 29 जुलाई,1975 को दी गई तथा किया गया संकल्प विधिवत अंगीकृत किया गया। तदनुसार, संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी,1976 में किया गया। वर्ष 1977 में लोकसभा भंग हो जाने पर समिति के उन 20 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई, जो लोकसभा द्वारा चुने गये थे और उनके स्थान पर नई लोकसभा के गठन के बाद इस समिति के लिए नये सदस्यों का चुनाव करना पड़ा। यह प्रक्रिया वर्ष 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा के चुनावों के बाद फिर दोहराई गई। इसके अतिरिक्त राज्य सभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति या सदस्यों की मृत्यु अथवा सदस्यों द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण समय-समय पर इस समिति में स्थान रिक्त होते रहे हैं। इन रिक्त स्थानों को संबंधित सदन से आवश्यकतानुसार निर्धारित पध्दति के अनुसार समय-समय पर भरा जाता रहा है और तदनुसार समिति की सदस्यता में समय-समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं। समिति की संरचना में विभिन्न राजनीतिक दलों की दोनों सदनों में समय-समय पर उपलब्ध संख्या की झलक मिलती है।

समिति को सौंपा गया कार्य

1.21 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार, समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

समिति की कार्यविधि, अध्यक्ष (गृह मंत्री) तथा अन्य सदस्य

1.22 वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन होने पर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संयुक्त रूप से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता को समिति का पहला अध्यक्ष नामित किया। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार, 1957 में भी गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ही थे। दिनांक 04.03.1976 की बैठक में समिति द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और कार्यसंचालन के नियमों को अपनाया गया।

1.23 समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर परंपरा के अनुसार भारत के गृह मंत्री (क्रमश: श्री चरण सिंह, श्री एच.एम.पटेल, श्री जैल सिंह, श्री प्रकाश चन्द सेठी, श्री बूटा सिंह, श्री मुपऊती मोहम्मद सईद, श्री एस.बी.चव्हाण, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री लाल कृष्ण आडवानी और श्री शिवराज वी. पाटिल) को समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी परंपरा के चलते दिनांक 26.08.2009 को माननीय गृह मंत्री, श्री पी.

चिदम्बरम को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों ने समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया और वे वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं। श्री शिवराज वी. पाटिल के इस्तीफा दिए जाने और श्री पी.चिदम्बरम के अध्यक्ष चुने जाने के बीच के अंतराल में समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश को आलेख और साक्ष्य उपसमिति ने कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया था।

1.24 इसके अतिरिक्त, समिति के अध्यक्षों ने संसदीय राजभाषा समिति की कार्यविधि एवं संचालन नियमावली के अनुसार समिति के उपाध्यक्ष का भार संभालने के लिए समय-समय पर श्री ओम मेहता, श्री चिरंजी लाल शर्मा, श्री श्रीकांत वर्मा, डा0 रुद्र प्रताप सिंह, श्रीमती वीणा वर्मा, श्री शंकर दयाल सिंह, श्री नाथू राम मिर्धा, प्रो0 राम देव भंडारी, श्री वेणु गोपालाचारी, डा0 वाई लक्ष्मी प्रसाद, डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्रीमती सरला माहेश्वरी और श्री जय प्रकाश को नामित किया। समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं। समिति के गठन से लेकर आज तक के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का कार्यकाल इस प्रकार है:-

<u>अध्यक्ष</u>

क्रमं0 सं0	**नाम**	**कार्यकाल की अवधि**	
		से	तक
1.	श्री ओम मेहता	19.02.1976	03.09.1977
2.	श्री चरण सिंह	03.09.1977	23.02.1979
3.	श्री एच.एम.पटेल	20.04.1979	22.08.1979
4.	श्री जैल सिंह	07.04.1980	22.07.1982
5.	श्री पी.सी. सेठी	21.12.1982	21.07.1984
6.	श्री एस.बी.चव्हाण	05.06.1985	12.03.1986
7.	श्री बूटा सिंह	29.05.1986	27.11.1989
8.	श्री मुपऊती मोहम्मद सईद	26.04.1990	12.12.1990
9.	श्री एस.बी. चव्हाण	20.08.1992	02.04.1996
10.	श्री इन्द्रजीत गुप्त	30.08.1996	28.11.1997
11.	श्री लाल कृष्ण आडवानी	28.04.2000	06.02.2004
12.	श्री शिवराज वि. पाटील	13.08.2004	30.11.2008
13.	श्री जय प्रकाश	16.12.2008	17.05.2009
14.	श्री पी. चिदम्बरम	26.08.2009 से	अब तक

<u>उपाध्यक्ष</u>

क्रमं0 सं0	**नाम**	**कार्यकाल की अवधि**	
		से	तक
1.	श्री ओम मेहता	06.12.1977	02.04.1982
2.	श्री चिरंजी लाल शर्मा	04.05.1983	31.12.1984

3.	श्री श्रीकांत वर्मा	05.06.1985	25.05.1986
4.	डा0 रुद्र प्रताप सिंह	29.08.1986	28.06.1992
5.	श्रीमती वीणा वर्मा	02.07.1992	02.04.1994
6.	श्री शंकर दयाल सिंह	07.06.1994	26.11.1995
7.	श्री नाथू राम मिर्धा	02.01.1996	02.04.1996
8.	प्रो. रामदेव भंडारी	30.08.1996	07.07.1998
9.	डा0एस वेणुगोपालाचारी	30.09.1998	26.04.1999
10.	डा0 वाई लक्ष्मी प्रसाद	28.04.2000	09.04.2002
11.	डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	11.04.2002	06.02.2004
12.	श्रीमती सरला माहेश्वरी	23.08.2004	18.08.2005
13.	प्रो0 रामदेव भण्डारी	19.08.2005	09.04.2008
14.	श्री जय प्रकाश	23.04.2008	17.05.2009
15.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	18.09.2009 से	अब तक

1.25 इनके अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी पूर्व में इस समिति के सदस्य रहे हैं, जिनमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 28.4.88 से 19.6.91 तक समिति के माननीय सदस्य रहे हैं तथा समिति के विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय डॉ0 विष्णु कान्त शास्त्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉ0 सी. नारायण रेड्डी और पद्मभूषण तथा पद्मश्री श्री विद्या निवास मिश्र संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य रह चुके हैं। डा0 एस0 जगतरक्षकन, वर्तमान में राज्यमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा श्री गुरुदास कामत, वर्तमान में गृह राज्य मंत्री और संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी विगत में इस समिति के माननीय सदस्य रह चुके हैं।

1.26 निरीक्षण कार्य के लिए संसदीय राजभाषा समिति की तीन उपसमितियाँ हैं जो विभिन्न मंत्रालयोंविभागोंअधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती हैं। तीनों उप समितियों के संयोजक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित किए जाते हैं।

1.27 इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी गठित है। समिति के उपाध्यक्ष इस उप समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा इसमें तीनों उप समितियों के संयोजक भी होते हैं। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष तीनों उप समितियों में से एक-एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उप समिति में नामित करते हैं। आलेख एवं साक्ष्य उप समिति संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक उप समिति है। यह उप समिति संसदीय राजभाषा समिति के साक्ष्य कार्यक्रम प्रस्तावित करती है; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ विचार-विमर्श करती है और महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है।

वर्तमान सदस्यता

1.28 त्यागपत्र, सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने तथा अन्य कारणों से समिति के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। समिति की वर्तमान सदस्यता सदनवार निम्न प्रकार की है:-

संसदीय राजभाषा समिति

सदस्य सूची

क्रम सं0	नाम	दल	राज्य	सदन
1.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	उत्तराखण्ड	राज्य सभा

पहली उपसमिति

1.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संयोजक	भारतीय जनता पार्टी	उत्तर प्रदेश	लोक सभा
2.	श्री शिवानंद तिवारी	जे डी (यू)	बिहार	राज्य सभा
3.	श्री प्रदीप टम्टा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	उत्तराखण्ड	लोक सभा
4.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	जे डी (यू)	बिहार	लोक सभा
5.	श्री निनोंग ईरिंग	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अरुणाचल प्रदेश	लोक सभा
6.	श्री अशोक अर्गल	भारतीय जनता पार्टी	मध्य प्रदेश	लोक सभा
7.	श्री गजानन डी. बाबर	शिवसेना	महाराष्ट्र	राज्य सभा
8.	श्री श्रीगोपाल व्यास	भारतीय जनता पार्टी	छत्तीसगढ	राज्य सभा
9.	श्री महाबल मिश्रा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	दिल्ली	लोक सभा
10.	श्री दारा सिंह चौहान	बहुजन समाज पार्टी	उत्तर प्रदेश	राज्य सभा

दूसरी उपसमिति

1.	डा0 प्रसन्न कुमार पटसाणी, संयोजक	बीजू जनता दल	उड़ीसा	लोक सभा
2.	डा0 निर्मल खत्री	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	उत्तर प्रदेश	लोक सभा
3.	श्री किशनभाई वी. पटेल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	गुजरात	लोक सभा
4.	श्री रमेश बैस	भारतीय जनता पार्टी	मध्य प्रदेश	लोक सभा
5.	श्री वाई पी त्रिवेदी	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	महाराष्ट्र	राज्य सभा
6.	श्री ब्रजेश पाठक	बहुजन समाज पार्टी	उत्तर प्रदेश	राज्य सभा
7.	डा0 (श्रीमती) बोच्चा झांसी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	आंध्र प्रदेश	लोक सभा

	लक्ष्मी			
8.	श्री धर्मेन्द्र यादव	समाजवादी पार्टी	उत्तर प्रदेश	लोक सभा
9.	श्री सुरेश काशीनाथ टावरे	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	महाराष्ट्र	लोक सभा

<u>तीसरी उपसमिति</u>

1.	प्रो0 अलका बलराम क्षत्रिय, संयोजक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	गुजरात	राज्य सभा
2.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी	बिहार	लोक सभा
3.	प्रो0 रामगोपाल यादव	समाजवादी पार्टी	उत्तर प्रदेश	राज्य सभा
4.	डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल	बिहार	लोक सभा
5.	श्री प्रभात झा	भारतीय जनता पार्टी	मध्य प्रदेश	राज्य सभा
6.	श्री जे एम आरोन रशीद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	तमिलनाडु	लोक सभा
7.	श्री मदन लाल शर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जम्मू व कश्मीर	लोक सभा
8.	श्री मोहम्मद अमीन	सीपीआई (एम)	पश्चिम बंगाल	राज्य सभा
9.	डा0 राम प्रकाश	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	हरियाणा	राज्य सभा

<u>आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति</u>

1.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संयोजक, पहली उपसमिति	सदस्य
3	डा0 प्रसन्न कुमार पाटसानी, संयोजक, दूसरी उपसमिति	सदस्य
4.	प्रो0 अलका बलराम क्षत्रिय, संयोजक, तीसरी उपसमिति	सदस्य
5.	श्री शिवानंद तिवारी	सदस्य
6.	डा0 (श्रीमती) बोच्चा झांसी लक्ष्मी	सदस्य
7.	डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह	सदस्य

<u>प्रतिवेदन</u>

1.29 समिति द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा, राजभाषा से संबंधित सांविधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व आठ खंडों में महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी हर वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तत्संबंधी परिपत्रों आदेशोंअनुदेशों आदि को तो समिति ध्यान में रखती ही है, साथ ही, चूँकि समिति के विचारार्थ विषयों का क्षेत्र

बहुत व्यापक है, इसलिए वह विद्यालयोंमहाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम, केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती परीक्षाओं के माध्यम, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षाओं के माध्यम आदि जैसे अन्य संगत पक्षों की जाँच पड़ताल करती रही है। राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता को देखते हुए, समिति ने जून, 1985 और अगस्त, 1986 में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया कि कार्य की जटिलता, विषय की व्यापकता एवं एक समय-सीमा में समस्त कार्य पर एक ही प्रतिवेदन के स्थान पर उसे विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जाए। समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के आठ खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है।